

कार्यालय:-निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त श्रीमति सुमन का पदस्थापन आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/नियुक्ति-राजनिति विज्ञान/पीएससी-15/2017 दिनांक 09.06.17 द्वारा व्याख्याता पर रा.उ.मा.वि. नाकरासर (चुरु) में किया गया। श्रीमति सुमन याची ने अपने पदस्थापन आदेश के विरुद्ध याचिका संख्या 14305/2017 दायर की। याची ने माननीय उच्च न्यायालय से गुहार की है कि वह एक विधवा महिला है अतः आदेश संशोधित कर मेरे गृह जिले झुंझुनू में किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.17 में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करके तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि याची का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से किया गया जिसके लिये याची ने अपना सहमति पत्र प्रस्तुत किया। याची को काउंसलिंग में उनकी श्रेणी के अनुसार प्राथमिकता/वरीयता का लाभ दिया गया अतः याची का यह कथन कि उसे गृह जिला आवंटित नहीं किया गया तर्कसंगत नहीं है। अतः याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुये निस्तारित किया जाता है सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक:-06/12/2017

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सुमन
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर/जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सीकर
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-विधि जयपुर/~~जोधपुर~~
4. प्रधानाचार्य राउमावि
5. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
6. संबंधित श्री/श्रीमति
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर